1 68

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर

कैंप रीवा म0प्र0

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

M-507-II/17

श्याम लाल मिश्रा तनय कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम डगडौआ,थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

अधि0 श्री अतीब श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत 16-2-17

................आवेदक

बनाम

1. राजेश सिहं पिता श्री इन्द्राज सिहं निवासी डगडौआ,तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

2. शासन म0प्र0

..................अनावेदकगण

आवेदन पत्र वावत निगरानी प्रकरण कमांक आर05281/द्वितीय/16 अदम पैरवी मे खारिजी दिनांक 1.2.017 को पुनरस्थापित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत ~~[illegible]~~ आदेश 35(3) म.प्र. भू.राजस्व संहिता

महोदय,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैः-

1. यह कि ,उक्त उन्मान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष कायमी तर्क हेतु दिनांक 1.2.17 को बिचाराधीन था, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1.2.17 को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है।
2. यह कि ,आवेदक के अधिवक्ता अपने निजी कार्य से जिले से वाहर होने के वजह से वक्त पुकार प्रकरण मे उपस्थित नही हो सके,जिससे प्रकरण मे कायमी तर्क नही कर पाये फलतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज किया गया है,आवेदक अधिवक्ता कायमी तर्क करने मे न्यायालय मे उपस्थित होने मे कोई लापरवाही नही किये है बल्किजिले के वाहर अपने निजी कार्य मे होने के वजह से न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके थे।

M-5071-II/17 रीमा-रेखा

23/1/18

7/3/18

आवेदक अधि० के तर्कों पर विचार किया। मु०अ०सं०- 5281-II/16 में पारित आदेश दि० 11/2/17 में प्रकट अदम पैरवी में खारिज हो गया है। प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो. आवेदनपत्र रेस्टोर्ड कर समाप्त किया जाता है।

[illegible]
सदस्य

[कृ. प. उ.